

उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन-2016) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र
 प0स0- / उ0प0या0व्य0प0 / पर्य0हरि0 / 2022-23 हरिद्वार:दिनांक:- 13 अप्रैल, 2022
 एतद्वारा शासनादेश/अधिसूचना संख्या-161/VI/2013-01(07)/2013(418) दिनांक 24 जनवरी, 2017 एवं संशोधित
 शासनादेश संख्या-160/VI/2016-01(07)/2013(418) दिनांक 16 फरवरी, 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय
 पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन-2016) के अन्तर्गत निहित शर्तों व नियम के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार **मै0 त्रियम्बकम दूर
 एण्ड ट्रैवल्स, पुरुषार्थी मार्केट, रेलवे स्टेशन गेट नं0-2 के सामने, बस स्टैण्ड, हरिद्वार** को यात्रियों/पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध
 कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाण निर्गत किया जाता है :-

- 1) ट्रैवल एजेन्सी का नाम व पता - **मै0 त्रियम्बकम दूर एण्ड ट्रैवल्स**
 पुरुषार्थी मार्केट, रेलवे स्टेशन गेट नं0-2 के सामने, बस स्टैण्ड, हरिद्वार।
- 2) पंजीयन संख्या व दिनांक - **UTTR/HARIDWAR/08-2022/004983 दि0-13.04.2022**
- 3) स्वामी/संचालक का नाम - **श्री गगन दीप**

नियम व शर्तें:-

- I ट्रैवल एजेन्सी द्वारा यात्रियों/पर्यटकों को प्रदत्त सुविधाओं में किन्हीं भी प्रकार की त्रुटियों/निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत के आधार पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित करें कि यदि आपके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं करवाया गया है तो ऐसी दशा में यात्रियों से किसी भी प्रकार के टैक्स की वसूली नहीं की जायेगी।
- II आपकी एजेन्सी के माध्यम से जिन यात्रियों/पर्यटकों परिवहन सुविधा सुलभ करवायी जायेगी उनका पूर्ण विवरण एक पंजिका में दर्ज किया जायेगा, जिसका निरीक्षण किसी भी समय जिला प्रशासन/परिवहन विभाग/पर्यटन कार्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- III पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय-समय पर जारी होने वाली शर्तें व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
- IV पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी के क्रियान्वयन/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता एवं प्रदूषण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- V आपके द्वारा पंजीकृत कराई गई ट्रैवल एजेन्सी उसी स्थान पर संचालित की जायेगी, जिस हेतु आवेदन किया गया है, अन्यत्र पते पर संचालन करने पर ट्रैवल एजेन्सी को दोबारा से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- VI यात्रियों/पर्यटकों को वाहन सुविधा के अन्तर्गत मात्र व्यवसायिक वाहन ही उपलब्ध कराये जाने हेतु बाध्य होंगे।
- VII पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी से यात्रा करने वाले यात्रियों/पर्यटकों को उच्चतम सुरक्षा मानकों (यथा वाहन की फिटनेस इत्यादि) के अनुरूप परिवहन सुविधा प्रदान की जानी होगी।
- VIII पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी में सेवारत चालकों द्वारा यात्रियों/पर्यटकों से अतिथि देवो भवः की भावना के दृष्टिगत मधुर व्यवहार किया जायेगा तथा यथा संभव सहयोग प्रदान किया जाये। चालकों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार अथवा संचालक द्वारा निर्धारित/तय किये गये किराये से अधिक किराया वसूलने व अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी आदि की शिकायत मिलने पर एवं शिकायत सही पाये जाने पर उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- IX पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी के संचालन हेतु मा0 न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/सक्षम प्राधिकरण के नियमों-शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में यह पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिस पर आपका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- X उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2014 (संशोधन-2016) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के फलस्वरूप निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी न्यायालय आदि में अपने किसी भी भवन/भूमि स्वामित्व/लीज डीड/किरायानामा/मानचित्र स्वीकृति आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा। लीज डीड/किरायानामा में उल्लिखित की गयी अवधि के समाप्त होने पर उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- XI ट्रैवल एजेन्सी के कार्यालय पर आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधाओं एवं उनके किराये आदि से सम्बन्धित दरें स्वागत पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जानी होंगी। किराये की दरें किसी भी दशा में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूल नहीं की जायेगी, जिसका उल्लंघन करने पर उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- XII यह पंजीकरण मात्र पर्यटकों/यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है। परिवहन सुविधाओं के नियमानुसार संचालनार्थ मा0 न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/वन्य जीव अधिनियम/रूड़की-हरिद्वार विकास प्राधिकरण/अग्नि शमन विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट/अन्य सम्बन्धित प्राधिकरण आदि के नियमों-शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- पंजीकरण प्रमाण पत्र।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/
 जिला पर्यटन विकास अधिकारी
 हरिद्वार।

पृ0प0स0- 29 (1)/2022-23 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01-जिलाधिकारी, हरिद्वार।

02-**मै0 त्रियम्बकम दूर एण्ड ट्रैवल्स, पुरुषार्थी मार्केट, रेलवे स्टेशन गेट नं0-2 के सामने, बस स्टैण्ड, हरिद्वार।**

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/
 जिला पर्यटन विकास अधिकारी
 हरिद्वार।